संख्या-186/2024/1467/22-2-2023-17(935)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर 2024

विषयः- जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालिका पुत्र श्री परशुराम, निवासी जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-12-2022) दिनांक-24-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालिका पुत्र श्री परशुराम, फतेहपुर सरैया, थाना-कैण्ट, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) का निवासी है। पूर्व में हुये मनमुटाव व मारपीट के विवाद कारण दिनांक 05-11-1995 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149,325/149,323/149,147,148, के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम फैजाबाद के आदेश दिनांक 31-10-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.11.2022 तक 15 वर्ष, 05 माह, 04 दिन अपरिहार तथा 18 वर्ष, 01 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा और उसके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुये मनमुटाव व मारपीट के विवाद कारण दिनांक 05-11-1995 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालिका पुत्र श्री परशुराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालिका (बन्दी संख्या-414/2008) पुत्र श्री परशुराम, निवासी जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-186/2024/1467(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- अधीक्षक, जिला कारागार सिद्धार्थनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में योजित क्रिमिनल मेसलीनियस रिट पिटीशन सं0-9359/2023 कालिका बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-05-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-186/2024/1467/22-2-2023-17(935)/2023

दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालिका पुत्र श्री परशुराम, फतेहपुर सरैया, थाना-कैण्ट, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) का निवासी है। पूर्व में हुये मनमुटाव व मारपीट के विवाद कारण दिनांक 05-11-1995 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149,325/149, 323/149,147,148, के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम फैजाबाद के आदेश दिनांक 31-10-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.11.2022 तक 15 वर्ष, 05 माह, 04 दिन अपरिहार तथा 18 वर्ष, 01 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा और उसके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुये मनमुटाव व मारपीट के विवाद कारण दिनांक 05-11-1995 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालिका पुत्र श्री परशुराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

(मदन मोहन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।